



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर- 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक : एफ-37(1)/जोविप्रा/नि.आ. /2017/ 582

दिनांक : 07/06/17

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के समान निकाय है जहां पर वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) विनियम 1989 के अनुसार बिना स्वीकृति निर्माण (भवन विनियम अनुसार अनुज्ञेय) की शास्ति ली जा रही है। उक्त नियम की तालिका 1 के बिन्दु संख्या (3) भवन निर्माण प्रारंभ से ही बिना स्वीकृति प्राप्त किया गया हो।

1. छत से ढका हुआ भाग - निर्धारित दर का 10 प्रतिशत।
2. भाग जो छत से ढका हुआ नहीं हो - निर्धारित दर का 5 प्रतिशत।

(नियमितिकरण हेतु प्रभार निर्धारित दर के प्रतिशत के आधार पर होगी। प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्धित उपयोग की आरक्षित दर से दोगुनी राशि "निर्धारित दर" होगी।) के अनुसार शास्ति लिये जाने का उल्लेख है। अतः उपरोक्तानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भी बिना स्वीकृति प्राप्त किये हुए (भवन विनियम अनुसार अनुज्ञेय) निर्माण पर शास्ति ली जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अरुण पुरोहित)
सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक:- 07/6/17

क्रमांक :- 583-591

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त पश्चिम, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त उत्तर, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त दक्षिण, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. निदेशक आयोजना, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. एसीपी, श्री देवेन्द्र गेहलोत को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

10. P.T.P. / A.T.P. / T.P.A. JDA, Jodhpur

(मुकुंद बिल्लै)
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर